अग्नि सुरक्षा मेला कल से, कलेक्टर ने तैयारियों का लिया जायजा

मेले में अग्नि सुरक्षा प्रबंधनों का होगा प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,27 मार्च। जिले के निवासियों को अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षित करने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले में 29, 30 व 31 मार्च को अग्नि सुरक्षा मेले का आयोजन ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में किया जा रहा है। यह मेला जिला प्रशासन द्वारा समाज के सभी वर्गों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मेले में अग्नि सुरक्षा से बचने के उपाय, अग्नि सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन, विक्रय के साथ-साथ लाइव प्रदर्शन भी किया जायेगा।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अग्नि सुरक्षा मेले की तैयारियों का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, सीईओ जिला पंचायत सोजान सिंह रावत, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय, एकेवीएम की कार्यपालन अधिकारी अनीशा श्रीवास्तव, अपर आयुक्त नगर निगम प्रतीक राव, एसडीएम अतुल सिंह, नरेशचंद गुप्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि अग्नि सुरक्षा मेले में समाज के सभी वर्ग आकर अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अवलोकन, उपकरणों के संचालन की प्रक्रिया को समझें, इसके लिये जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में व्यापारी संघों एवं गणमान्य नागरिकों से चर्चा कर उन्हें मेले की जानकारी देने के साथ-साथ अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने की बात कही जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि मेले की सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण हों। मेले में अग्नि सुरक्षा के संबंध में नागरिकों को अधिक से अधिक जानकारी देने के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा का लाइव प्रदर्शन भी किया जाए। अग्नि सुरक्षा उपकरण विक्रय करने वाले दुकानदारों को मेले में उचित स्थान एवं व्यवस्थायें मुहैया कराई जाएं ताकि जिले के नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से अग्नि सुरक्षा की जानकारी और उपकरण उपलब्ध हो सकें।

चेंबर के चुनावों के लिये तीन माह की समयवृद्धि

18 जुलाई तक होंगे चुनाव

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 27 मार्च। मध्यप्रदेश चेंबर आफ कामर्स के चुनावों के लिये संपन्न असाधारण सभा की बैठक में तीन माह के कार्यकारिणी वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब चुनाव 18 जुलाई तक हर हाल में कराने होंगे। चेंबर पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों व प्रमुख सदस्यों की असाधारण सभा की बैठक में कार्यकारिणी व पदाधिकारियों के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि का प्रस्ताव अध्यक्ष डा. प्रवीण अग्रवाल व सचिव दीपक अग्रवाल की उपस्थिति में रखा गया, जिसे असाधारण सभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अब चेंबर पदाधिकारियों का

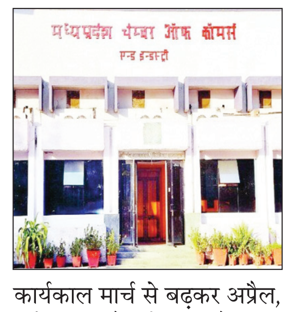

कार्यकाल मार्च से बढ़कर अप्रैल, मई, जून और हो गया हैं। अब चेंबर प्रशासन को 18 जुलाई से पूर्व नये चेंबर पदाधिकारी व कार्यकारिणी का चुनाव करना हैं।

3450 मेंबर हुये: अब चेंबर आफ कामर्स के सदस्यों की संख्या 3450 हो गई हैं, जो अपने मताधिकार की प्रयोग करेंगे। इसमे से 20 को छोड़कर सभी की मेंबरशिप अपडेट है। चेंबर के मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल का कहना है कि इन बकाया 20 लोगों की मेंबरशिप फीस 31 मार्च तक अपडेट कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि अब एक अप्रैल से नये बनने वाले चेंबर सदस्य चुनावों में वोट नहीं डाल पायेंगे। इन 3450 चेंबर सदस्यों में लगभग 3150 व्यापारी सदस्य ग्वालियर की फर्मों के है। बाकी ग्वालियर से बाहर के हैं जिन्हें मतदान हेतु ग्वालियर ही आना होगा।

बजट भी पास: वहीं चेंबर आफ कामर्स का बजट गत दिवस संपन्न हुई साधारण सभा की बैठक में पारित हो गया हैं। इस वर्ष चेंबर को 2.50 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। गत वित्तीय वर्ष में यह राजस्व 2.20 करोड़ रहा। चेंबर आफ कामर्स के पास सुरक्षित एफडी राशि चार करोड़ के आसपास है।

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी के पीएसओ के साथ मारपीट कर की फायरिंग

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,27 मार्च। माता मंदिर पर भजन कीर्तन के दौरान हुये विवाद के बाद शुक्रवार की देर शाम बदमाशों ने भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के पीएसओ समेत तीन लोगों पर फायरिंग कर दी। माता मंदिर पर गाना बजाने को लेकर कुछ पड़ोसी भड़क उठे और मुंहबाद करने लगे। मुंहबाद के बाद पड़ोसियों ने गोली चला दी। मामला मुरार थाना क्षेत्र के अल्पना टॉकीज के पास का है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पिता पुत्र सहित एक महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक संतोष कुमार पांडे भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल के निजी पीएसओ और पीए हैं। शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर संतोष पांडे के घर के सामने स्थित माता मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन चल रहा था और साउंड सिस्टम पर माता के भजन बज रहे थे। पास ही फायर ब्रिगेड का सब स्टेशन था, जहां कर्मचारी सुनील कुमार मौजूद था। इसी दौरान पड़ोसी भूरा और उसका पिता पप्पी वहां पहुंचे। साउंड सिस्टम बंद कराने को लेकर सुनील से गाली-गलौज कर मारपीट की। सुनील अपने ऑफिस पहुंचकर साथी पवन को जानकारी देने लगा, तभी हमलावर वहां भी पहुंचकर धमकी देने लगे। इसके बाद पिता पुत्र दोबारा मंदिर पहुंचे और वहां बैठी महिलाओं से अभद्रता करने लगे। इसी दौरान संतोष पांडे घर पहुंचे और उन्होंने विरोध किया। इस पर भूरा, उसका पिता और बहन रीना उनसे भिड़ गए।

विवाद बढ़ने पर भूरा कट्टा लेकर आया, जबकि उसकी बहन रीना ने घर की बालकनी से बंदूक से गोली चलाई। दोनों ने कुल चार राउंड फायर किए। इस दौरान संतोष पांडे के हाथ में छर्रे लगे, आकाश पांडे के चेहरे और आंख के पास चोट आई, जबकि राजकुमार पांडे के हाथ में गोली लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़कर उनका कट्टा छीन लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने भूरा, उसके पिता पप्पी रजक और एक महिला को हिरासत में लिया है। इस मामले में एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। घायल और आरोपी एक ही मौहल्ले में पास-पास रहते हैं, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

नशामुक्त भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी जरूरी- विनोद सिंह

नशामुक्ति रथ दे रहे हैं जन-जन को नशामुक्ति का संदेश

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,27मार्च। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तीसरे दिन भी ग्वालियर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में नशामुक्ति रथों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इन नशामुक्ति रथों पर आकर्षक जिंगल्स, संदेश एवं देश के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नशामुक्ति संबंधी उद्बोधनों का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे आमजन में सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है। रथ शहर के विभिन्न वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करा रहे हैं।

अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक की टीमें भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर मंचन के माध्यम से नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित

किया जा रहा है। संयुक्त कलेक्टर एवं सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक श्री विनोद सिंह ने बताया कि नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्वालियर जिले में नशामुक्त वातावरण निर्माण हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से समाज के हर वर्ग तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर इसे जनआंदोलन का रूप दें। इस अभियान में सामाजिक संस्था रमन शिक्षा समिति, अहिंसा महिला एवं बाल कल्याण समिति, एनसीसी, एनएसएस एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से यह अभियान व्यापक स्तर पर सफलतापूर्वक संचालित किया रहा है।

सोनिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए कांग्रेस का धार्मिक अनुष्ठान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 27 मार्च। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्षा एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती सोनिया गांधी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु शहर जिला कांग्रेस कमेटी, ग्वालियर द्वारा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में पड़ाव पुल के नीचे स्थित प्राचीन एवं आस्था के केंद्र मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई, जिसमें मंदिर परिसर में उपस्थित सभी कांग्रेसजनों ने श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया एवं विशेष पूजा-अर्चना कर प्रभु श्री राम तथा संकटमोचन हनुमान जी से प्रार्थना की गई कि वे सोनिया गांधी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें तथा उन्हें स्वस्थ, दीर्घायु एवं ऊर्जावान जीवन का आशीर्वाद दें। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात कांग्रेसजनों ने उपस्थित सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया।

कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, प्रदेश सचिव दशरथ सिंह पटेल, सीमा समाधिया, संजय सिंह राठौर, हेवरन सिंह कंसाना, चतुर्भुज धनोलिया, मंगल सिंह यादव, रामनरेश परमार, हरेन्द्र गुर्जर, भैयालाल भटनागर, प्रताप राव महाडिक, आदित्य सेंगर, तरूण यादव आशुतोष शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मुनेन्द्र सिंह भदोरिया, महेश धनोलिया, अनुप शिवहरे, देवेन्द्र चौहान, राजेश खान, लक्ष्मीनारायण कुशवाह, नीरज यादव, मनीश यादव, संजीव दीक्षित, सोरभ जेन, जसवंत शेजवार, शरद यादव, विजय शर्मा, रामनिवास शर्मा, धर्मवीर राठौर, विकास, केशव भदोरिया, आसिफ अली, वीरेन्द्र यादव, अजीत गोस्वामी, अनिल शर्मा, गोविद दास अग्रवाल, जितेन्द्र यादव, सोहिल खान, अश्वनी अगरैया, सुनीता तौमर, अभिषेक पाल, अनुप मिश्रा, धर्मेश, धर्मेन्द्र शर्मा, विकास उपाध्याय, रामू कुशवाह, एनपी आर्य, गोविंद राजपूत, जितेन्द्र खेमरिया, राजीव शर्मा, श्याम शर्मा, जीतू कुशवाह, सोरभ यादव जीतू खटीक, दिनेश राठौर, दीपेन्द्र, छोटू मंडेलिया, धर्मवीर जाटव, जितेन्द्र यादव, रमेश भेरूआ, राकेश शर्मा, किशन, आदि उपस्थित थे।

CHANGE OF NAME

I, Arjun Singh Rathore S/o Shri Ajay Kumar Singh, Age – 13-12-1963, Sex-Male, Address- A-606 Gulmohar City, Near New Collectorate, Morar, Gwalior (M.P.)-474006. That a Passport number **R4055795**, Dated **13.10.2017** has been made in the name of me the affiant, in which my name **Arjun Singh** which is wrong. My name is **"Arjun Singh Rathore"** which is true and correct. that I, the affiant, have to register my name as **Arjun Singh Rathore** in my passport.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मै सनेन्द्र वर्मा पुत्र श्री लालू सिंह, नि. वार्ड नं. 17 कुम्हरौआ आडिया टावर के पास भिण्ड म.प्र. मेरी सर्विस इडियन आर्मी आरक्षक के पद पर स्थान बाडमेन राजस्थान में हुई है। जिसकी सर्विस पास बुक में मेरी माताजी का नाम सिरजा देवी भूलवश लिखा गया है। जो कि असत्य व गलत है जबकि उनका सही नाम सरजा देवी है। मेरी सर्विस पास बुक में मेरी माताजी का नाम सरजा देवी दर्ज किया जावे जो कि मूल दस्तावेजो के आधार पर सत्य एवं सही है। उक्त नाम सुधार कराने बावत् शपथ पत्र पेश है।

शपथकर्ता
सनेन्द्र वर्मा पुत्र श्री लालू सिंह, नि. वार्ड नं. 17
कुम्हरौआ आडिया टावर के पास भिण्ड म.प्र.

आम सूचना

श्रीमती ममता पत्नी श्री बनवारीलाल के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.22, स्थित ग्राम बड़ागाँव, प.ह.नं.91, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.61 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.765 ग्राम बड़ागाँव का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में रास्ता, पश्चिम में भूखण्ड क्र.09, उत्तर में भूखण्ड क्र.23 एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.21 है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री पुरूषोत्तम (बालिग), मुन्ना (नाबालिग पुत्रगण श्री विजय सिंह, मुन्नी पुत्री श्री विजय सिंह, श्रीमती सरजू पत्नी स्व. श्री विजय सिंह सरपरस्त माँ श्रीमती सरजू, श्री किशोरी पुत्र श्री रामहंस के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री किशोरीलाल का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री अमृतलाल सिंह, श्री दिनेश सिंह पुत्रगण स्व. श्री किशोरीलाल, लक्ष्मीबाई, राजाबेटी, सुनीता बाई, उषा बाई, उर्मिला पुत्रियां स्व. श्री किशोरीलाल उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री अमृतलाल सिंह, श्री दिनेश सिंह, लक्ष्मीबाई, राजाबेटी, सुनीता बाई, उषा बाई, उर्मिला द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री सुजन सिंह पुत्र श्री किशोरीलाल के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र.एमपी 142592017ए4066800 दिनांक 15.02.2017 को सम्पादित किया गया। श्री अमृतलाल सिंह, श्री दिनेश सिंह, लक्ष्मीबाई, राजाबेटी, सुनीता बाई, उषा बाई, उर्मिला जर्ये मुख्त्यारआम श्री सुजन सिंह (स्वयं) द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती ममता पत्नी श्री बनवारीलाल को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592018 ए1668923 दिनांक 28.09.2018 से विक्रय की गई। श्रीमती ममता द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वेक्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री किशोरीलाल के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 14 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री मान सिंह रावत पुत्र श्री बांकेलाल रावत के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम कुतघान, प.ह.नं. 56, तहसील सबलगढ़ एवं जिला मुरैना में है जो भूमि सर्वे क्र.418 /मिन-3 ग्राम कुतघान का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में भूखण्ड हेमन्त शर्मा, पश्चिम में भवन फूली रावत, उत्तर में मैन रोड एवं दक्षिण में खेत मूला बघेले है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री सुर्यदेव शर्मा द्वारा श्री हरिगोविन्द सिंह पुत्र श्री सुदामा सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.619 दिनांक 28.10.1994 से विक्रय की गई। श्री हरिगोविन्द सिंह का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री राजकुमार सिंह जादौन, श्री ओमप्रकाश सिंह जादौन, श्री कोक सिंह जादौन, श्री नरेन्द्र सिंह जादौन पुत्रगण श्री हरिगोविन्द जादौन, श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व. श्री हरिगोविन्द जादौन, श्रीमती आशा देवी पुत्री श्री हरिगोविन्द पत्नी श्री रामनरेश, मीनू उर्फ मीना पुत्री श्री हरिगोविन्द पत्नी श्री रणवीर एवं श्रीमती प्रेमबाई पुत्री श्री हरिगोविन्द पत्नी श्री विनोद कुमार उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री राजकुमार सिंह जादौन, श्री ओमप्रकाश सिंह जादौन, श्री कोक सिंह जादौन, श्री नरेन्द्र सिंह जादौन, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती आशा देवी, मीनू उर्फ मीना एवं श्रीमती प्रेमबाई द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मान सिंह रावत पुत्र श्री बांकेलाल रावत को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25842019ए1023545 दिनांक 09.01.2019 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेख दिनांक 28.10.1994 की मूलप्रति गुम हो गई है। श्री मान सिंह रावत द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेख दिनांक 28.10.1994 की मूलप्रति प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें एवं जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, निकाय अथवा श्री हरिगोविन्द सिंह के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री सुभाषचंद्र शर्मा पुत्र श्री चंदूलाल शर्मा के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.43, ग्राम शंकरपुर, प.ह.नं.54 (नया) एवं 37 (पुराना), रा.नि.मं.02 लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.01 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.870 ग्राम शंकरपुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में रास्ता, पश्चिम में भूखण्ड क्र.36, उत्तर में भूखण्ड क्र.42 एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.44 है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री चिन्मन एवं श्री हरप्रसाद पुत्रगण श्री हरगोविन्द जर्ये मुख्त्यारआम श्री अमर सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह एवं श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह द्वारा श्री अशोक कुमार बादिल पुत्र श्री गंगाराम बादिल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.266 दिनांक 28.04.1990 से विक्रय की गई। श्री अशोक कुमार बादिल द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री रतनलाल शर्मा पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.3272 दिनांक 09.01.2012 से विक्रय की गई। श्री रतनलाल शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री सुभाषचंद्र शर्मा पुत्र श्री चंदूलाल शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2845 दिनांक 05.03.2015 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 28.04.1990 एवं दिनांक 09.01.2012 की मूलप्रतियां गुम हो गई है। श्री सुभाषचन्द्र शर्मा द्वारा फर्म चेतक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन हेतु उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 28.04.1990 एवं दिनांक 09.01.2012 की मूलप्रतियां प्राप्त हों तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, एक आवासीय भवन सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 825 वर्गफीट है जो सर्वे क्रमांक 797/2 राजस्व ग्राम जौराखुर्द की भूमि पर निर्मित होकर ग्राम ग्राम जौराखुर्द, वार्ड क्रमांक 38, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-अन्य का भवन, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में - सुम्मेरा खटीक का भवन, दक्षिण में-सेंगर का भवन स्थित है। उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती नीरू गर्ग पत्नी श्री पवन गर्ग निवासी बालाजी मेडीकल स्टोर, बिजलीघर के सामने, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र ने सम्पत्ति स्वामी श्रीमती ओमवती पत्नी श्री हरिओम एवं श्री हरिओम पुत्र श्री देवाराम निवासीगण गोपालपुरा, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त आवेदिका के अनुसार अनुबंधकर्तागण / विक्रेतागण से उक्त सम्पत्ति का पूर्व मुल विक्रय पत्र दिनांकित 02/01/1985 जिसके द्वारा अनुबंधकर्तागण के विक्रेता श्री वासुदेव पुत्र श्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने उक्त अनुबंधित सम्पत्ति कय की थी अनुबंधकर्तागण से कहीं गुम हो गया है जिसका अनुबंधकर्तागण के द्वारा अथवा उनके संज्ञान में किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 14 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।

दिनांक : 27/03/2026
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय- ओशो ध्यान केन्द्र के पास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सायं 05.00 बजे तक

आम सूचना

श्री आनंद राजा परमार पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह परमार के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम भितरवार, परगना भितरवार एवं जिला ग्वालियर में है जो नगर परिषद भितरवार वार्ड क्र.08 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.3345/5 ग्राम भितरवार का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है : -पूर्व में भवन श्री राजू तिवारी, पश्चिम में भवन सुशील सेठ, उत्तर में रास्ता 15 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में छेड़ी बाद भवन श्री महेन्द्र श्रीवास्तव है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री घमण्डीलाल द्वारा श्री परमाल सिंह पुत्र श्री जगमन सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2588 दिनांक 28.02.2013 से विक्रय की गई। श्री परमाल सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री अजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.264 दिनांक 22.05.2015 से विक्रय की गई। श्री अजय सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री आनंद राजा परमार पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह परमार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी042902020ए1324876 दिनांक 24.06.2020 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 28.02.2013 एवं दिनांक 22.05.2015 की मूलप्रतियां गुम हो गई है। श्री आनंद राजा परमार द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मणप्पुरम होम फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 28.02.2013 एवं दिनांक 22.05.2015 की मूलप्रतियां प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें अथवा उसके सम्बन्ध में कोई हित रखते हों अथवा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन-474006

क्रमांकः ए.डी.एम./वि.अधि./आशावित विवाहः (41) 2026
ग्वालियर दिनांक 23 मार्च, 2026

// विज्ञप्ति //

आवेदकगण पंकज त्यागी पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार त्यागी उम्र 37 वर्ष निवासी रेशम मिल नई बस्ती बिरलानगर ग्वालियर म०प्र० एवं सुरभी आर्य पुत्र श्री ओमप्रकाश आर्य उम्र 21 वर्ष निवासी तानसेन नगर लश्कर ग्वालियर म०प्र० द्वारा दिनांक 23.03.2026 को साक्षीगणों की उपस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम 1954 आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुये आशयित विवाह हेतु धारा 5 के अन्तर्गत सूचना देकर तीन कलेन्डर मास के भीतर, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित होना आशयित दर्शाया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन में वर एवं वधू द्वारा यह घोषणा की गई है कि आवेदकगण आवेदित दिनांक को अविवाहित हैं। वर द्वारा 21 वर्ष तथा वधू द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उनकी आपस में कोई प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं है। यह भी घोषणा की गयी है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, ग्वालियर, 474006, मध्यप्रदेश, के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।
मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील
अपर जिला मजिस्ट्रेट
एवं विवाह अधिकारी
जिला ग्वालियर म.प्र

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, **मोहम्मद फैजान कुरैशी**, पिता **श्री सलीम उद्दीन कुरैशी**, निवासी पंचशील नगर, पागलखाना तिराहा के पास, सत्यम ऑटो रिपेयर के समीप, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474012, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम त्रुटिवश (MOHMMAD FAIZAAN QURESHI) अंकित हो गया है। जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम (**MOHAMMAD FAIZAAN QURESHI**) ही दर्ज है। अतः भविष्य में मेरा सही एवं वैध नाम (MOHAMMAD FAIZAAN QURESHI) ही माना जाए। सभी संबंधित विभागों एवं व्यक्तियों से विनम्र अनुरोध है कि वे मुझे (**MOHAMMAD FAIZAAN QURESHI**) नाम से ही संबोधित करें तथा इस नाम से लिखा पढ़ा जाए और उसी नाम को मान्य समझें। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

प्रार्थी
मेरा सही नाम : मोहम्मद फैजान कुरैशी
पता : पंचशील नगर, पागलखाना तिराहा के पास, सत्यम ऑटो रिपेयर के समीप, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474012
दिनांक :27/03/2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी संपत्ति क्षे.क्र. 15 वार्ड क्रमांक 42 भवन/प्लॉट क्र. 571 स्थान- दानाओली, लश्कर जिला ग्वालियर में स्थित है जोकि पंकज जैन, विकास जैन, आकाश जैन के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्र. 1000330519 पर दर्ज है/नहीं हैं, जिसका क्षेत्रफल 1537.5 वर्गफुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. ...... प्रकरण क्रमांक *3/11 दिनांक 13/03/2026 द्वारा क्रय उत्तराधिकार से प्राप्त/ वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है। उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट, लश्कर ग्वालियर क्षेत्र क्रमांक 15 पर दिनांक 13/03/2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्र. 70/2010/ 48479/48456 है। उक्त के संबन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा। दिनांक 27.03.2025

आवेदक- पंकज जैन, विकास जैन, आकाश जैन
पताः- दानाओली वार्ड क्र. 42 लश्कर, ग्वालियर मो. 7247425968

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान चौड़े के हनुमान नगर में स्थित है जो कि वर्षा शर्मा/ओम प्रकाश नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 2000261074 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आर-17082501197865 दिनांक 17/8/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा दिनांक 26/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/55151/55078 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-3-2026
एकता शर्मा/गिर्राज शर्मा
पता : चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब : 9827753244

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान चौड़े के हनुमान नगर में स्थित है जो कि रूबी/सुनील सोनी नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000215518 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602024ए11268892 दिनांक 24/10/2024 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा दिनांक 26/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/55150/55077 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-3-2026
प्रीती शर्मा/ गोपाल शर्मा
पता : चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब : 9827753244

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 08 स्थान पीताम्बरा कॉलोनी में स्थित है जो कि विन्द्रावन/तुलसीराम चौबे नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000215653 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 116.17 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र... दिनांक ... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा दिनांक 26/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/ 55152/55079 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 27-3-2026
ऊषा तोमर/गजेन्द्र सिंह तोमर
पता : चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब : 9425306679

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमाक/राजस्व/ 2026 ग्वालियर,दिनांक
18/03/2026

।।जाहिर सूचना ।।

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रसारित किया जाता है कि राहुल गुप्ता पुत्र श्री संतोष गुप्ता निवासी बी. 397 आनंद नगर बहोड़ापुर ग्वालियर की आरामशीन भूमि सर्वे कमांक 516 वार्ड कमांक 5 भितरवार जिला ग्वालियर में स्थापित है, की आरामशीन श्री फेरन सिंह कौरव पुत्र श्री सियाराम कौरव निवासी वार्ड क्रमांक 7 विधायक कॉलोनी भाण्डेर जिला दतिया द्वारा क्रय कर श्री हाकिम सिंह यादव पुत्र श्री सुन्नु लाल यादव निवासी वार्ड क्रमांक 10 काजीपाठा, भाण्डेर जिला दतिया के सर्वे कमांक 20 रकवा 0.090 हे. जिसका नाम 97X100 = 9700 वर्गफीट पर स्थापित करना चाहता है। उक्त आरामशीन को नामांतरण/स्थानांतरण करने के संबंध में यदि किसी भी वारिसदार को कोई आपत्ति है अथवा आरामशीन की वसीयत बनाई गई हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपना लिखित आवेदन पत्र सुसंगत अभिलेख के साथ कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल ग्वालियर को प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि उपरांत कोई भी प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

एनएचआईटी वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
(पहले नेशनल हाईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड नाम से जाना जाता था)

सार्वजनिक सूचना

रक्सा टोल प्लाजा पर संशोधित उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) दरे 01.04.2026 के 00:00:00 बजे से लागू।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एनएचएआई के दिनांक 26.03.2026 के पत्र संख्या एनएचएआई/क्षेत्रीय कार्यालय मप्र/भोपाल/प.का.ई.-ग्वालियर/टोल परिचालन/2026/57198 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के कि.मी. 1305+087 से कि.मी. 1380+387 पर स्थित रक्सा टोल प्लाजा, शिवपुरी – झाँसी सेक्शन, मध्य प्रदेश राज्य, पर संग्रहित किये जाने वाला संशोधित उपयोगकर्ता शुल्क **दिनांक 01-04-2026 समय 00.00 बजे से** निम्न प्रकार लागू होगा।

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	एक तरफा यात्रा के लिये शुल्क (रुपये में)	बहुयात्राओं (अधिकतम दो एकतरफा) संदाय के समय से 24 घंटे के लिये शुल्क (रुपये में)	50 एक तरफा यात्राओं के लिये मासिक पास शुल्क (रुपये में)	जिले में पंजीकृत स्थानीय वाणिज्यिक वाहनों के लिये शुल्क (रुपये में)
1	कार/जीप/वैन या हल्के मोटर वाहन	140	210	4650	70
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन/हल्के मालवाहक वाहन/मिनी बस	225	340	7510	115
3	बस या ट्रक (दो धूरी वाले)	470	710	15740	235
4	वाणिज्यिक वाहन (तीन धूरी वाले)	515	775	17170	260
5	भारी निर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मु.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	740	1110	24680	370
6	विशाल आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	900	1350	30045	450

नोटः जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में निवास करता हो, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मासिक पास की दर रूपये 360/- होगी। तथा सभी गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक पास की दर रूपये 3075/- होगी।(पहले की सभी शर्ते लागू रहेंगी) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों एवं संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

सम्पर्क करने के लिए पताः
एनएचआईटी वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट न. 325 तीसरी मंजिल, डी-21, कॉर्पोरेट पार्क, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110077
दूरभाषः 011-45120397, ईमेलः nwppl@nhit.co.in

सड़के ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी